अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी ..संख्या.– 11/2019–20

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09(1) के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकारः– सरकार (अंचल अधिकारी, पण्डौल)

प्रतिपक्षीः–शिवशंकर महतो एवं अन्य

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः– अंचल अधिकारी, पण्डौल, जिला–मधुबनी। प्रतिपक्षीः– शिवशंकर महतो एवं अन्य कुल–25	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
[illegible]	यह वाद अंचल अधिकारी, पण्डौल से प्राप्त प्रतिवेदन पर प्रारम्भ किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा मौजा– पण्डौल थाना नं. 108 अंचल–पण्डौल, के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि सी0एस0खतियान में नीचे अंकित भूमि गैर मजरूआ मालिक एवं आम दर्ज है। इसी जमीन पर वर्तमान में हाट/बाजार लगता है जिसका प्रत्येक वर्ष बंदोवस्ती किया जाता है। सैरात पंजी एवं स्थल निरीक्षण में पाया गया कि नीचे वर्णित व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से कच्चा/पक्का मकान बनाकर हटिया की जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे हाट लगने में कठिनाई हो रही है। अवैध जमाबंदी को रद्द किया जाय विवरण निम्नवत् हैः–	

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	ज.नं.	खाता सी0एस	खेसरा सी0एस0	रकवा
01	शिवशंकर महतो	बलदेवमहतो	3935	1316	837,838,839, 840	0–1–16–4
02	विश्वनाथ महतो	तदैव	3936	1316	837,838,839, 840–सड़क	0–1–16–4
03	रामकृष्ण महतो	बलदेव महतो	3937	1316	837	0–1–12–8
04	संजय कु.महतो	जगदीशमहतो	3592	1316	840–सड़क	0–0–14–8
05	जगदीश महतो	सिंघेश्वरमहतो	3591	1316	840, 838, 839	0–1–0–0
06	जय ना.महतो	रामलखनमहतो	3658	1316	815–कमलानदी	0–3–0–0
07	विश्वनाथमहतो	बलदेव महतो	3668	1316	837	0–0–16–4
08	अमित कुमार	शिवशंकरमहतो	3670	1316	837	0–0–4–0
09	अरबिंद कु.सिंह	ललन प्र.सिंह	3707	1316	838, 839	0–0–6–0
10	आनंद कुमार उर्फ पिंटु वगै0	ओम ना0महतो	3716	1316	840–रास्ता	0–0–11–8
11	जगदीश महतो	सिंघेश्वरमहतो	1045	..	..	1–14–19–8
12	बलदेवमहतो–मृत पुत्र–शिवशंकर महतो	बलदेव महतो	918	1316/ 1963	837/3420	0–3–19–8
13	जवाहर लाल महतो	जग्रनाथ महतो	812	1316	837,838,839, 840	0–2–0–0
14	लखन महतो–मृत पुत्र–जयनारायण महतो	लखन महतो	211	..	..	0–0–10–0
15	लखन महतो–मृत पुत्र–जयनारायण महतो	लखन महतो	232	..	..	0–0–10–0

16	सहदेवठाकुर वो जगदीवठाकुर	मुन्नी ठाकुर	257	..	..	0–2–10–0
17	रामदयालनायक मृत जीवित पुत्र गोबिन्द नायक	रामदयालनायक	278	..	..	0–1–16–0
18	बलदेवमहतो–मृत पुत्र–शिवशंकर महतो	बलदेव महतो	286	..	..	0–0–10–0
19	दशरथठाकुर–मृत पुत्र–भगवानलाल ठाकुर	दशरथठाकुर	1218	1316	837	0–0–9–0
20	अंजनी कुमार	दशरथठाकुर	1219	1316	837	0–0–8–0
21	बनवालीराय–मृत पुत्र–बिन्दे राय	बनवाली राय	564	..	..	0–1–3–0
22	जनक ठाकुर	अकलू ठाकुर	570	1316	835	0–1–0–0
23	शत्रुघ्न महतो	जग्रनाथमहतो	750	1316	840 सड़क 838, 838	0–2–8–8
24	सहदेवठाकुर वो जगदीवठाकुर	मुन्नी ठाकुर	257	..	..	0–2–10–0
25	संतोष कुमार	दशरथठाकुर	1217	1316	837	0–0–8–8

अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत वाद प्रारम्भ करते हुये जमाबंदीदारों/वारिशानों को अपना–अपना आक्षेप वकालतन/असालतन प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी।

(1)– जयनारायण महतो पिता लखन महतो साकिन– पण्डौल थाना–पण्डौल की ओर से प्रस्तुत पक्ष का संक्षिप्त विवरणः–

1–विपक्षी के जमाबंदी संख्या–3658 पुराना खेसरा संख्या– 815 रकवा 0–3–0 (तीन कट्ठा) एवं दुसरा जमाबंदी संख्या–232 जो 0–0–10–8 (दस धूर आठ कनमा) से संबंधित है।

2– हाल सर्वे खतियान रैयती कायम है।

3– सी0डब्लू0जे0सी0संख्या–1052/1986 में दिनांक– 04.04.1986 को पारित न्यायादेश के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा खेसरा संख्या–815 को बंदोवस्ती सूची में दर्ज नहीं किया।

4– पुनः वर्ष 1998–99 में खरीदारान एवं उनके वारिसानों को अंचल से नोटिस भेजा गया तथा बार–बार अंचल अधिकारी के द्वारा परेशान किये जाने से तंग आकर खरीदारान के द्वारा बिहार सरकार/अंचल अधिकारी, के विरूद्ध हकीयत वाद संख्या–43/2001 अवर न्यायाधीश प्रथम, मधुबनी के न्यायालय में दायर किया गया। सक्षम दीवानी न्यायालय के द्वारा उक्त मोकदमा के वादी यानि खरीददारान के बंशजों का खेसरा संख्या– 815 पर हकीयत एवं दखल कब्जा स्वीकार किया गया। उक्त हकीयत मोकदमा 43/2001 जिसके पक्ष में निर्णित हुआ उसी से जयनारायण महतो ने केवाला दिनांक– 03.09.2019 के द्वारा तीन कट्ठा जमीन खरीद किया जिसका जमाबंदी संख्या–268 से कटकर तीन कट्ठा का जमाबंदी संख्या– 3658 विपक्षी के नाम कायम किया गया।

5– इस प्रकार सक्षम दिवानी न्यायालय द्वारा निर्णय के विरूद्ध अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण का वाद लाना माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना है।

6– जमाबंदी संख्या–232 खेसरा संख्या–840 हाल सर्वे खतियान रामफल महतो पेसर अकलु महतो के नाम से दर्ज हुआ जिसका खाता नं. 2654 खेसरा नं. 1575 है। रामफल महतो विपक्षी के पिता लखन महतो के सगे भाई हैं। आपसी बटवारा में 0–0–11–8 (ग्यारह धूर आठ कनमा) विपक्षी के पिता लखन महतो के नाम से जमाबंदी संख्या–232 कायम है

जिसपर उनका रिहायशी मकान है।
7– माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2014(3) पी0एल0जे0आर0 584 तथा 2017 (1)पी0एल0जे0आर0 818 के फैसला के आलोक में कायम जमाबंदी संख्या–232 को धारा–9 के अंतर्गत रद्द नहीं किया जा सकता है।
8– जहॉ तक विपक्षी के पिता लखन महतो के नाम से कायम जमाबंदी संख्या–211 की कोई जानकारी विपक्षी को नहीं है।

(2) विपक्षी आनंद कुमार महतो उर्फ पिन्टू वगैरह और ओम नारायण महतो की ओर से प्रस्तुत पक्ष का संक्षिप्त विवरणः–

1–पुराना खेसरा संख्या–840 से नया खेसरा संख्या– 1575 वो 1574 वो 1573 वो 1572 वो 1571 वो 1569 बना है।
2– खेसरा संख्या–840 में रकवा 1 कट्ठा 3 धुर पर हकीयत दखल कब्जा मकान मय सहन पाकर नया सर्वे खतियान रामलखन महतो के नाम से दर्ज हुआ जिसका नया खेसरा नं. 1575 है।
3– खेसरा संख्या–840 रैयती जमीन है उसके किसी भी अंश से बिहार सरकार को कोई सरोकार नहीं है।
4– हकीयत मोकदमा संख्या– 136/2019 सब जज के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें दिनांक– 02.12.2019 द्वारा विवादित खेसरा की रकवा पर इन्तनाई (इंजक्शन) का आदेश पारित है। **पारित आदेश में पुराना खाता संख्या–1316 तथा नया खाता संख्या– 2654 जिसका पुराना खेसरा संख्या– 840/815 है तथा जिसका नया खेसरा नं. 1575 है जिसका रकवा 0–0–साढ़े ग्यारह–0 के संबंध में यथास्थिति बनाये रखें तथा उक्त भूमि पर स्थित मकान का ध्वस्तिकरण न करें।**

(03) प्रतिपक्षी जवाहर महतो पेसर स्व0 जगरनाथ महतो की ओर से प्रस्तुत पक्ष का संक्षिप्त विवरणः–

1–प्रश्नगत खेसरा के संबंध में विपक्षी ने बिहार सरकार एवं अंचल अधिकारी, पण्डौल के विरूद्ध हकीयत मोकदमा सब जज मधुबनी के न्यायालय में हकीयत मोकदमा संख्या– 145/2019 दाखिल किये जिसमें बिहार सरकार अंचल अधिकारी की ओर से कन्टेस्ट करते आये। सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक– 15.12.2020 ई0 को इन्तनाई (इन्जंक्शन) का आदेश पारित है जो वर्तमान में भी प्रभावी है।
2– प्रश्नगत भूमि रिविजनल सर्वे खतियान खेसरा संख्या–1562 रैयती है। रैयत से उनके पूर्वज ने केवाला के माध्यम से खरीद किया जिसका राजस्व पंजी–2 में जमाबंदी संख्या–812 विपक्षी के पक्ष में कायम है। उक्त वाद को खारिज किया जाय।

(04) विपक्षी जगदीश महतो पिता सिंघेश्वर महतो की ओर से प्रस्तुत पक्ष का संक्षिप्त विवरणः–

1– विपक्षी ने प्रश्नगत खेसरा के संबंध में हकीयत मोकदमा सब जज प्रथम मधुबनी के न्यायालय में दायर किया जो वाद संख्या–146/2019 है जिसमें इंजक्शन आदेश माननीय सक्षम न्यायालय से पारित हे।
2– खेसरा संख्या–838 वो 839 वो 840 रकवा एक कट्ठा पर हकीयत दखल कब्जा देखकर नया सर्वे खतियान 1562/14447 मकान मय सहन दर्ज हुआ। वाद खारिज किया जाय।

(5)– विपक्षी अरबिन्द कुमार सिंह पिता ललन प्रसाद सिंह का पक्षः–

1– प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमींदार की थी जो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास मालिक थी। जमींदारी उन्मूलन के बाद भी प्रश्नगत भूमि सरकार में सन्निहित नहीं हुई। भूतपूर्व जमींदार राज दरभंगा ने

पावर ऑफ एटॉर्नी अपने मैनेजर को दिया था, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि केवाला के माध्यम से हस्तान्तरण कर दखल दे दिया गया।

2– प्रश्नगत भूमि पूराना खेसरा संख्या– 838, 839, 840 नया खेसरा संख्या–1563 रिविजनल सर्वे खतियान में रैयती मो0 बशीर के नाम से हो चुका है। जो स्पष्ट करता है कि प्रश्नगत भूमि रैयती है। रैयत द्वारा हस्तान्तरित भूमि का कायम जमाबंदी संख्या– 3707 बैध्य है जिसे रद्द नहीं किया जाय।

(06) विपक्षी अंजनी कुमार वो संतोष ठाकुर पिता दशरथ ठाकुर का पक्षः–

1– हाल सर्वे खतियान खाता– 1099 खेसरा संख्या– 1547 तनुकी पति रामेश्वर महतो के नाम दर्ज हुआ। विपक्षीगण के हकीयत एवं दखल कब्जा के आधार पर विपक्षी के नाम से जमाबंदी संख्या– 1219 बनाम अंजनी कुमार तथा जमाबंदी संख्या– 1217 बनाम संतोष कुमार तथा जमाबंदी संख्या– 1218 विपक्षी के पिता दशरथ ठाकुर के नाम से कायम हुआ जो जमाबंदी संख्या–607 से कायम हुआ है।

2– माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अपने विभिन्न फैसलों में कहा है कि यदि गैर मजरूआ आम, खास या केशरे हिन्द जमीन का भी हाल सर्वे खतियान किसी रैयत के नाम दर्ज हो गया है या बहुत पूर्व से जमाबंदी कायम है वैसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को जमाबंदी रद्द करने का या बेदखल करने का अधिकार नहीं है।

3– खेसरा संख्या– 837 का रकवा 1 कट्ठा 6 धुर विपक्षीगण के परिवार की रैयती भूमि है जिसपर उनका आवासीय घर है।वाद समाप्त योग्यहै।

(07) विपक्षी शिवशंकर महतो, विश्वनाथ महतो, रामकृष्ण महतो, पेसरान स्व0 बलदेव महतो की ओर से प्रस्तुत पक्ष का अंशः–

1–जमाबंदी संख्या–3935, 3936, 3937, 3668 एवं 3670 बैध्य है जो अंचल द्वारा कायम किया गया है। रैयती भूमि केवाला के माध्यम से क्रय किया गया जिसका जमाबंदी खरीदारान के नाम से कायम है।

2– रिविजनल सर्वे खतियान खाता संख्या– 1562 नया खेसरा संख्या–1567 (नया) रैयत बलदेव महतो के नाम दर्ज हुआ जो स्पष्ट करता है कि प्रश्नगत भूमि रैयत हो चुकी है। वाद को खारिज किया जाय।

(08) विपक्षी सहदेव ठाकुर के पक्ष का अंशः–

1– पुराना सर्वे के समय किस्म गैर मजरूआ रहना कहीं से भी यह साबित नहीं करता है कि वर्तमान में भी किस्म वही है।

2–हाल सर्वे खतियान विपक्षी सहदेव ठाकुर वो जगदेव ठाकुर के नाम से दर्ज हुआ। यह रैयती जमीन है जिसका जमाबंदी रद्द किया जाना उचित नहीं होगा। प्रक्रिया को समाप्त किया जाय।

(09) विपक्षी गोबिन्द नायक पिता हरि नायक के पक्ष का अंशः–

1– रिविजनल सर्वे खतियान विपक्षी के दादा के नाम से दर्ज हुआ है जो स्पष्ट करता है कि प्रश्नगत भूमि रैयती है। विपक्षी के पक्ष में कायम जमाबंदी बैध्य है। वाद की प्रकिया को समाप्त किया जाय।

अंचल अधिकारी पण्डौल की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–

1– प्रश्नगत जमाबंदी मौजा एवं अंचल पण्डौल के पुराने खेसरा संख्या– 835, 836, 837, 838, 839, 840 एवं 815 से संबंधित है।

2–

खाता न0	रैयत का नाम	खेसरा नं.	रकवा	किस्म

1316	गैरमजरूआ खास	836	0–1–12	नाली
		837	0–6–7	सहन
		839	0–5–19	परती कदीम
		840	1–9–7	बाग
1317	गैर0आम	835	1–2–18	मकानमय सहन
		838	0–15–12	रास्ता
1317	गैर0आम	815	5–13–8	नदी कमला

3– उपरोक्त खेसराओं में से खेसरा संख्या–837, 838 एवं 839 सरकारी सैरात में काफी पूर्व से पण्डौल हाट के रूप में दर्ज है जहाँ पर सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं शुक्रवार को हाट लगता है।

4– पण्डौल हाट की सलाना बन्दोवस्ती काफी पूर्व से किया जाता रहा है और वर्तमान में उपरोक्त सैरात पण्डौल हाट की बंदोबस्ती वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में मो0 422280.00 (चार लाख बाई स हजार दो सौ अस्सी) रू0 में लक्ष्मी साहु, सागरपुर के नाम से किया गया है जिनके द्वारा राजस्व नजारत में जमा किया गया है।

5– विपक्षियों द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी अवैध एंव बनावटी कागजातों के आधार पर कायम करवा लिया गया है एवं तथाकथित जमाबंदी के आधारर पर विपक्षियों द्वारा उपरोक्त खेसरों की भूमि को अतिक्रमित कर लिया गया है जिसके कारण पण्डौल हाट हेतु काफी कम क्षेत्र बचा हुआ है। जिससे बिहार सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है।

6– अधिकांश जमाबंदी धारकों एवं उनके बंशजों के द्वारा वर्ष 1957 या उसके बाद का विक्रय पत्र जो महाराजधिराज दरभंगा के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक दुर्गानन्द झा द्वारा निष्पादित है, के आधार पर दावा किया जा रहा है।

7–बिहार भूमि सुधारन अधिनियम 1950 की धारा– 4(एच) में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक– 01.01.1946 के बाद किया गया कोई भी अन्तरण जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों को निस्फल/असफल करने के उद्येश्य से अस्तित्व में लाया गया है, वह अवैध है।

8– बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा–7 (ए) के अनुसार पूर्व मध्यवर्त्तीयों को हाट एवं बाजार की भूमि को बन्दोबस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

9– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या– 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक– 820(6) रा0 दिनांक– 15.07.2011 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राजस्व भूमि में की गयी अनुचित एवं जनहित विरोधी प्रविष्टियों में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय और उपर्युक्त निर्णय को मील का पत्थर माना जाय।

10– प्रश्नगत जमाबंदी भूमि लोक भूमि से संबंधित है, जो बिहार सरकार के सैरात में पण्डौल हाट के रूप में दर्ज है तथा जिसमें बिहार सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। प्रश्नगत जमाबंदियों को रद्द करने का आदेश दिया जाय।

अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन, जमाबंदीदारों की ओर से प्राप्त पक्ष पर विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का विधिक मंतव्यः–

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि पर नाला, नदी, हाट वो बाग इत्यादि है। विपक्षी ने उक्त जमीन को नाजायज ढ़ंग से अंचल अमला को मेल वो दाम में लाकर नाजायज जमाबदी कायम करवा लिया है जो खारिज योग्य है। विपक्षी ने सरकारी की जमीन पर नाजायज घर बना लिया है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा– 4 (एच) में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक– 01.01.1946 के बाद किया गया कोई भी अन्तरण जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधान का निष्फल/ असफल करने के उद्येश्य से अस्तित्व में लाया गया है, वह अवैध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या– 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक– 820(6) रा0 दिनांक– 15.07.2011 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राजस्व भूमि में की गयी अनुचित एवं जनहित विरोधी प्रविष्टियों में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय और उपर्युक्त निर्णय को मील का पत्थर माना जाय। सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। प्रश्नगत जमाबंदी लोक भूमि से संबंधित है। नाजायज जमाबंदी को रद्द करने की कृपा की जाय।

निष्कर्षः–

अंचल अधिकारी की ओर से प्रस्तुत पक्ष एवं साक्ष्य, जमाबंदीदारों की ओर से प्रस्तुत पक्ष एवं साक्ष्य, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत विधिक राय दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत पक्ष एवं दलील की सुनवाई के उपरांत मैंने पाया किः–

1– कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार उक्त वाद में सन्निहित भूमि गैर मजरूआ खास एवं गैर मजरूआ आम किस्म–नाली, सहन, परती कदीम, बाग, मकानमय सहन, रास्ता, नदी कमला है।

2– सार्वजनिक भूमि यथाः रास्ता, नदी, नाला आम जनता के उपयोग की है जिसे बन्दोबस्त करने का अधिकार जमींदार को नहीं था।

3– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या– 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक– 820(6) रा0 दिनांक– 15.07.2011 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राजस्व भूमि में की गयी अनुचित एवं जनहित विरोधी प्रविष्टियों में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय और उपर्युक्त निर्णय को मील का पत्थर माना जाय।

4– बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा– 4(एच) में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक– 01.01.1946 के बाद किया गया कोई भी अन्तरण जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों को निस्फल/असफल करने के उद्येश्य से अस्तित्व में लाया गया है, वह अवैध है।

5– बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा–7 (ए) के अनुसार पूर्व मध्यवर्तीयों को हाट एवं बाजार की भूमि को बन्दोबस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

6– जमाबंदीदारों की ओर से प्रस्तुत पक्ष एवं साक्ष्य के अनुसार रिविजनल सर्वे खतियान रैयती हो चुका है। खतियान सुधार हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

7– विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की विधिक राय से मैं सहमत हूँ। सरकारी भूमि की रक्षा किये जाने का दायित्व राजस्व

पदाधिकारी का है।

8– जमाबंदीदारों की ओर से प्रस्तुत पक्ष में उल्लेख किया गया है कि :–

क– हकीयत वाद संख्या–43/2001 में रैयत का दखल कब्जा पाया गया।

ख– हकीयत मुकदमा संख्या– 136/2019 सब जज मधुबनी के माननीय न्यायालय में दिनांक– 02.12.2019 को इंजक्शन आदेश पारित है।

ग–हकीयत मुकदमा संख्या–145/2019 सब जज मधुबनी के माननीय न्यायालय में दिनांक– 15.12.2020 को इन्जक्शन आदेश पारित है।

9– चूँकि माननीय सिविल न्यायालय का इंजक्शन आदेश वर्ष 2019 एवं 2020 में पारित है, उक्त वाद में वर्तमान स्थिति की जानकारी इस न्यायालय को नहीं है। सक्षम न्यायालय का इंजक्शन आदेश है इसलिए वर्तमान वाद में जमाबंदी रद्दीकरण के बिन्दु पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

10–अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के संरक्षक है तथा सरकारी भूमि की रक्षा करने का दायित्व राजस्व पदाधिकारी का है।

11–अंचल अधिकारी का कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के आधार पर जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव है।

12–जमाबंदीदारों की ओर से प्रस्तुत पक्ष में रिविजनल सर्वे खतियान रैयती होने के आधार पर दावा किया जा रहा है तथा माननीय सिविल न्यायालय के हकीयत वाद में इंजक्शन आदेश पारित होने के आधार पर उक्त वाद की कार्रवाई को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

13–खतियान सुधार हेतु अधोहस्ताक्षरी का न्यायालय सक्षम नहीं है। अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि खतियान सुधार की त्वरित कार्रवाई प्रावधान के आलोक में सुनिश्चित करें।

14–यह भी आदेश दिया जाता है कि जिस हकीयत वाद में माननीय सिविल न्यायालय का इंजक्शन आदेश है उस वाद में सरकारी अधिवक्ता से उपरोक्त वादों में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करके सरकार की ओर से साक्ष्य के साथ पक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

सारे तथ्यों के आधार पर उपरोक्त ऑबजर्वेशन के साथ उक्त वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम अपीलीय न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

अपर समाहर्त्ता,
मधुबनी।

अपर समाहर्त्ता,
मधुबनी।